

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- प.4(50)कृषि/ग्रुप-2/97

जयपुर, दिनांक | 3 JUN 2010

आदेश

राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम 1963 के नियम 63 ए में निहित प्रावधानान्तर्गत एक से अधिक मण्डी क्षेत्र के लिए विशिष्ट अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में नियम 63 बी, नियम 63 सी एवं नियम 63 (2) के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

1. आवेदन शुल्क 10000/-रु.(अक्षरे दस हजार रु.)
2. अनुज्ञापत्र शुल्क 50000/-रुपये (अक्षरे पचास हजार रु.) प्रति वर्ष
(अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्तानुसार राशि के भुगतान के आधार पर कितने भी वर्ष के लिए अनुज्ञापत्र ले सकता है)
3. अमानता राशि (Security deposit) 25 लाख रूपये की बैंक गारन्टी असीमित कय केन्द्रों के लिए
4. कृषि जिन्सों की न्यूनतम मात्रा 20000 मै. टन (सभी जिन्सों की सम्मिलित न्यूनतम मात्रा)

शासन उप सचिव